(3) ***विवाह पर महिलाओं के नाम में परिवर्तन*** – महिला कर्मचारी के विवाह के कारण नाम में जो परिवर्तन होता है, उसके लिए उपर्युक्त तरीके से डीड करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि विभागीय अधिकारी संतुष्ट हो तो विवाह के बाद नाम में परिवर्तन स्वीकार करके उसे संबंधित सभी कार्यालयों को सूचित करना जरूरी होता है, साथ ही सरकारी रिकार्डो में उसे नोट भी करना चाहिए।

(4) ***तलाक, पति से अलग होने या पति की मृत्यु पर महिला कर्मचारी के नाम में परिवर्तन*** – के लिए भी उसे उपर्युक्त (3) के अनुसार आवेदन देना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक परिवर्तन की कार्यवाही करेगा।

(5) विभागीय क्लर्क की गलती से नाम में गलती की शुद्धि करके सरकारी रिकार्ड ठीक कर देने चाहिए।

जन्म की तारीख –

(कार्मिक विभाग का0 ज्ञा0 सं0 19016/1/87 ई0 (ए) दि0 12.03.87)

(क) सेवा अभिलेख में रिकार्ड :–

(1) सरकारी सेवा में आते समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी जन्म की तारीख घोषित करेगा। यह जन्म की तारीख सेवा में प्रवेश करने से पहले किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त (स्पष्ट) रूप से या विवक्षित (ध्वनित) रूप से घोषित की गई किसी तारीख से भिन्न नहीं होगी।

(2) जन्म की तारीख मैट्रिक या म्यूनिसीपल प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या न्यायालय के शपथ पत्र के आधार पर होगी।

(3) (क) यदि सेवा में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अपनी जन्म की तारीख बताने में असमर्थ हो किन्तु अपनी आयु बताता हो तो यह मान लिया जायेगा कि अनुप्रमाणित करने की तारीख को उसने अपनी बताई आयु पूरी कर ली है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 1 जनवरी 1980 को सेवा में प्रवेश करता है और उस तारीख को अपनी आयु 18 वर्ष बताता है तो उसकी जन्म की तारीख 1 जनवरी 1962 मानी जायेगी।